



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2011/फाल्गुन 24, 1932

No. 455]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2011/PHALGUNA 24, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2011

का.आ. 568(अ).—यतः, मै. स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ने उत्तराखण्ड राज्य में धोरान खास, डंडा धोरान, गुगराड़ा मान सिंहवाला ग्राम, सहस्रधारा मार्ग, देहरादून में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 16 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1456(अ) में 14.6 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल हैं :—

तालिका

क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धोरान खास	174क, ख, ज	7.32
2.	डंडा धोरान	23मि	1.61

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	गुगराड़ा मान सिंहवाला	446ड	0.56
4.		447क, ख, ग	2.37
5.		448क	2.59
6.		449च	0.15
कुल			14.60 हेक्टेयर

यतः, मै. स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ने सम्पूर्ण 14.6 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 21 जनवरी, 2011 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 की धारा 1 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करती है। सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई हैं।

[फा. सं. एफ. 2/276/2006-ईपीजेड]

टी. श्रीनिधि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2011

S.O. 568(E).—Whereas, M/s. State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited, had proposed under Section 3 of the Special

Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Dhoran Khas, Danda Dhoran, Gugrada Man Singhwala villages, Sahastra Dhara Road, Dehradun in the State of Uttarakhand;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 14.6 hectares at the above location as Special Economic Zone vide the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1456(E), dated 16th June, 2008, comprising the following survey number and area as given below in the table :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Villages	Survey No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dhoran Khas	174Ka, Kha, Ja	7.32
2.	Danda Dhoran	23Mi	1.61

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Gugrada Man Singhwala	446D	0.56
4.		447Ka, Kha, Ga	2.37
5.		448Ka	2.59
6.		449Cha	0.15
Total			14.60
			Hectares

And whereas, M/s. State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited has proposed to denotify the entire area of 14.6 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for denotification of above on 21st January, 2011;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/276/2006-EPZ]

T. SRINIDHI, Jt. Secy.